रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052023-245944 CG-DL-E-18052023-245944

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2126] No. 2126] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 18, 2023/वैशाख 28, 1945 NEW DELHI, THRUSDAY, MAY 18, 2023/VAISAKHA 28, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2023

का.आ. 2219(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा डॉ. ए के बिसोई, को डॉ. एस.के. आचार्य, कार्यपालक निदेशक, फोर्टिस अस्पताल के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के संस्थान निकाय का सदस्य नामित करती है,और उस प्रयोजन से दिनांक 10 जून, 2020 के.आ. 1822 (अ). के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जेड-28016/177/2019-पीएमएसएसवाई-IV दिनांक 18 मई, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में, क्रमसंख्या 9 और उस से संबंधित प्रविष्टि में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्: "9. डॉ. ए के बिसोई"

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[एफ.सं. जेड-28016/110/2023-पीएमएसएसवाई-IV]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

3193 GI/2023 (1)

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2023

S.O.2219 (E).—In exercise of powers conferred by Clause (e) of Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. A K Bisoi, to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar in place of Dr. S.K. Acharya, Executive Director, Fortis Hospital and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India in Ministry of Health & Family Welfare, File Number Z-28016/177/2019-PMSSY-IV dated the 18th May, 2020 published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-Section (ii) vide SO 1822 (E) dated the 10th June, 2020:

In the said notification, for serial number 9 and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-

"9. Dr. A K Bisoi"

The terms of office of the member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F.No. Z-28016/110/2023-PMSSY-IV] ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2023

का.आ. 2220(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. ए के बिसोई, को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर का अध्यक्ष नामित करती है।

[एफ.सं. जेड-28016/110/2023-पीएमएसएसवाई-IV] अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2023

S.O.2220 (E).—In exercise of the power conferred by section 7 (1) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. A K Bisoi, as the President of All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar.

[F.No. Z-28016/110/2023-PMSSY-IV] ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.